

न्यायालय:श्रीधर कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-106 / 2006
 संस्थित दिनांक-21.03.2006
 फाईलिंग क्र.234503000522006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी,
 उत्तर वन मण्डल सामान्य लामटा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **परिवादी**

// **विरुद्ध** //

रोशनलाल वल्द नेतलाल ठाकरे, उम्र-44 वर्ष, जाति पंवार,
 निवासी-ग्राम घोडदेही, थाना परसवाड़ा,
 तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-28/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा-51 सहपठित धारा-9, 29, 35 (6) एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-19.10.2005 को अवैध रूप से उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामटा के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के बीजा व सागौन चिरान के तख्ते व वन्य प्राणी रेडा की सूखी खाल रखे पाये गये।

2- परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रोशनलाल अपने रहवासी मकान में वन सम्पदा रखे हुआ है, जिसका तलाशी वारंट उप वनमण्डलाधिकारी उकवा द्वारा जारी किया गया। आरोपी रोशनलाल के मकान की तलाशी पंचो के समक्ष लिए जाने पर मकान से इमारती लकड़ी बीजा चिरान एवं सागौन चिरान के तख्ते तथा वन्य प्राणी रेडा की सूखी खाल तलाशी के दौरान पाई गई, जिसे रखने के संबंध में आरोपी रोशन लाल से अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछे जाने पर उसने कोई अनुज्ञा पत्र नहीं होना बताया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध पी.ओ.आर. क्रमांक-2886/21, धारा-26(1) च 52 भारतीय वन अधिनियम 1927, 2 उपधारा-16, 9, 29, 51, 40(2) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपी के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा-51 सहपठित धारा-9, 29, 35 (6) एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-19.10.2005 को अवैध रूप से उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र लामटा के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से बिना अनुज्ञा के बीजा व सागौन चिरान के तख्ते व वन्य प्राणी रेडा की सूखी खाल रखे पाये गये ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— बी.सी. बिसेन (प.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह परिवाद वन अधिनियम की धारा-26(च) एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा-16, 9, 29, 91, 40(2) का प्रस्तुत किया गया है। परिवाद पत्र प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पी.ओ.आर. किसके द्वारा काटा गया है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 उसने परिवाद के साथ पेश किया है, जो उसने एम.पी. निन्हावे के द्वारा बनाया गया है। उसने सर्च वारंट परिवाद के साथ पेश किया है, जो प्रदर्श पी-3 है। पंचनामा प्रदर्श पी-4 है, मकान में प्रवेश करने का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-5, मकान से बाहर आने का पंचनामा प्रदर्श पी-6, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7, जप्त संपत्ति की माप रिपोर्ट प्रदर्श पी-8, वनोपज की सूची प्रदर्श पी-9, अपराधी का बयान प्रदर्श पी-10, हेमूलाल का कथन प्रदर्श पी-11, सोमनलाल का कथन प्रदर्श पी-12, कुंवरसिंह का कथन प्रदर्श पी-13, बलराम का कथन प्रदर्श पी-14, डी.एस. धुर्वे का कथन प्रदर्श पी-15, सुपुर्दनामा प्रदर्श पी-16 एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में संलग्न पी.ओ.आर. क्रमांक-2886/21 प्रदर्श पी-17 है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जब प्रदर्श पी-17 का पी.ओ.आर. काटा गया था, तब वह लामटा परिक्षेत्र में पदस्थ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1 लगायत 17 के दस्तावेज पूर्व में ही तैयार हो चुके थे एवं उसके निर्देशानुसार तैयार नहीं किये गए थे।

6— एन.पी. निन्हावे (प.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। वह दिनांक-19.10.2005 को कुमनगांव में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ था। उसने आरोपी के विरुद्ध सर्च वारंट कटा था। आरोपी के घर से तलाशी में 7 नग बीजा की लकड़ी, सागौन की 3 नग लकड़ी एवं 2 नग रेडा का चमड़ा मिला था। उसने मकान में प्रवेश करने के पूर्व अपनी तलाशी दी थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-13 के सर्च वारंट के आधार पर उसने तलाशी ली थी और पंचनामा प्रदर्श पी-5 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

उसने लकड़ी का पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-17 जारी किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मकान से बाहर आने प्रदर्श पी-6 का पंचनामा तैयार किया था। उसने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना दी थी, जो प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वन्य प्राणी के चमड़े का विवरण प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने जप्त वनोपज 10 नग बीजा की लकड़ी, सागौन की सूची प्रदर्श पी-9 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी रोशनलाल के बयान प्रदर्श पी-9 तथा साक्षी हेमू, सोमनलाल, कुंवरसिंह, बलराम का कथन लिया था, जो क्रमशः प्रदर्श पी-11 से 14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वनरक्षक के बयान प्रदर्श पी-15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्तशुदा सामान उसके सुपुर्दनामे पर हैं, जो प्रदर्श पी-16 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के बाद वन अधिकारी द्वारा परिवाद पेश किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इंकार किया कि उसने साक्षी हेमुलाल एवं सोहनलाल के सामने सिर्फ एक लकड़ी का पलंग जप्त किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-4 एवं प्रदर्श पी-7 के पंचनामे में अंदर ँ उसने का समय तथा बाहर आने का समय लेख नहीं है। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था।

7— धनुपसिंह धुर्वे (प.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2005 की दोपहर 11-12 बजे की है। वह वन परिक्षेत्र अधिकारी उत्तर लामता के मार्गदर्शन में तलाशी लेने ग्राम घोड़ादेही गया था। आरोपी रोशनलाल के घर की तलाशी लेने पर ईमारती लकड़ी तथा दो नग लकड़बध्दे के चमड़े जप्त हुए थे। उसके द्वारा जप्तशुदा लकड़बध्दे के दोनों चमड़े की नापजोख की गई थी। एक चमड़े की लम्बाई 90 से.मी., चौड़ाई 35 से.मी., सामने वाले पैर की लम्बाई 38 से. मी. और पिछले पैर की लम्बाई 30 से.मी. एवं कान की लम्बाई 10 से.मी. तथा एक चमड़े की लम्बाई 105 से.मी., चौड़ाई 35 से.मी., सामने पैर की लम्बाई 23 से.मी. पिछले पैर की लम्बाई 23 से.मी. एवं कान की लम्बाई 10 से.मी. पाई थी। उसने दोनों चमड़ों की नापजोख कर प्रदर्श पी-8 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके अपने बयान दिए थे, जो प्रदर्श पी-15 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि लकड़बध्दे के चमड़े का नाप वन विभाग के कार्यालय में किया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-8 में स्थान एवं दिनांक लेख नहीं है। इस प्रकार पंचनामा प्रदर्श पी-8 किस दिनांक को अथवा किस स्थान पर बनाया गया था, यह बात प्रदर्श पी-8 से दर्शित नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी के घर से ईमारती लकड़ी तथा चमड़ा जप्त नहीं हुआ था।

8— हेमूलाल (प.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी के घर से सटकट्टा लकड़ी का पलंग बना-बनाया पकड़ा गया था, रेड़ा का चमड़ा जप्त नहीं किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 में उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के घर से बीजा का चिरान एवं सागौन जप्त नहीं हुआ था, सिर्फ पलंग जप्त हुआ था। उसके सामने पी.ओ.आर. नहीं काटा गया था। मकान का तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह मकान के अंदर नहीं गया था। उसने बिना पढ़े पंचनामा प्रदर्श पी-4 पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तलाशी के बाद लकड़ बध्ने के चमड़े प्राप्त नहीं हुए थे और न ही सागौन एवं बीजा की लकड़ी जप्त हुई थी। साक्षी ने कहा है कि उसने अपने बयान नहीं दिए थे।

9— सोमनलाल (प.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। आरोपी के घर से लकड़ी निकली थी, जो करीब 8-10 थी। आरोपी के घर से रेड़ा का चमड़ा नहीं मिला था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी के घर में घुसने का पंचनामा नहीं बनाया गया था। तलाशी के बाद उसने लकड़ी देखी थी, परंतु चमड़ा नहीं देखा था। पंचनामा प्रदर्श पी-6 उसने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। साक्षी ने प्रदर्श पी-12 का बयान नहीं लेख कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी के घर से बने हुए पलंग की लकड़ी खोलकर निकाली गई थी।

10— कुंवरसिंह (प.सा.5), नंदराम (प.सा.9) ने परिवादी के कथनों का समर्थन नहीं किया है। परिवाद कुंवरसिंह (प.सा.5) ने कहा है कि आरोपी के घर से खाल जप्त नहीं हुई थी। पुलिस ने उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे, जबकि मंशाराम (प.सा.6), कंचन (प.सा.7) ने कहा है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

11— नंदलाल (प.सा.9) ने कहा है कि आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया गया था। आरोपी को पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करना था, इसलिए उसने कागजों पर हस्ताक्षर किये थे।

12— परिवादी साक्षी जोहरलाल (प.सा.10) ने कहा है कि गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-7 पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी को परसवाड़ा में गिरफ्तार नहीं किया गया है। यदि गिरफ्तारी की कार्यवाही परसवाड़ा लेख हो तो वह गलत है। प्रदर्श पी-7 का गिरफ्तारी पंचनामा में स्थान वन परिक्षेत्र परसवाड़ा लेख होना दर्शित है। साक्षी ज्ञानसिंह (प.सा.11) तथा मंशाराम (प.सा.12) ने कहा है कि गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 पर उनके हस्ताक्षर हैं। मंशाराम (प.सा.12) ने स्वीकार किया है कि वनविभाग वालों ने कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे।

13— परिवादपत्र परिवादी बी.सी. बिसेन (प.सा.1) द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि समस्त दस्तावेज प्रदर्श पी-1 लगायत 17 पूर्व से ही तैयार किये गए थे, इसलिए उसके ज्ञान में कार्यवाही न होना प्रकट हो रहा है। परिवादी साक्षी एन.पी. निन्हावे (प.सा.4) ने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी के घर तलाशी लेने पर 7 नग बीजा की लकड़ी, सागौन की 3 नग लकड़ी एवं 2 नग लकड़ बघ्घे का चमड़ा मिला था, जिसके संबंध में कार्यवाही की गई थी एवं जप्ती पंचनामा इत्यादि तैयार किए गए थे। उसका कहना है कि कार्यवाही स्वतंत्र साक्षी हेमु, सोहनलाल के समक्ष की गई थी। परिवादी साक्षी हेमुलाल (प.सा.2), सोहनलाल (प.सा.3) ने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि लकड़बघ्घे के चमड़े की जप्ती आरोपी के घर से नहीं हुई थी। आरोपी के घर से बना बनाया पलंग की लकड़ी जप्त की गई थी। उपरोक्त दोनों साक्षी तलाशी पंचनामे प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5, प्रदर्श पी-6 के स्वतंत्र साक्षी हैं। उपरोक्त साक्षियों ने कहा है कि घर में घुसने के पहले वनविभाग वालों ने अपनी तलाशी नहीं दी थी। साक्षी हेमुलाल का कहना है कि उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। शेष परिवादी साक्षी कुंवरसिंह (प.सा.5), मंशाराम (प.सा.6), कंचन (प.सा.7) ने अपने समक्ष कोई कार्यवाही होने से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षियों ने कहा है कि मौके पर सभी कार्यवाही हो गई थी और उनसे हस्ताक्षर करने को कहा गया तो उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों का समर्थन साक्षी बी.सी. बिसेन (प.सा.1), निन्हावे (प.सा.4) द्वारा किया गया है, परंतु उनके वन विभाग में कार्यरत होने से उनके हितबद्ध साक्षी होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता। किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा वन विभाग द्वारा की गई कार्यवाही जो पी.ओ.आर प्रदर्श पी-17 के पश्चात् की गई थी का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवाद पत्र में ईमारती लकड़ी एवं वन्य प्राणी रेडा की सूखी खाल जप्त किये जाने का उल्लेख है, जबकि कार्यवाही में दो लकड़बघ्घे की खाल जप्त किया जाना दर्शित है। उपरोक्त स्थिति में यह संदेहास्पद है कि आरोपी के घर की तलाशी लेने पर वन्य प्राणी लकड़बघ्घे की दो नग खाल एवं ईमारती लकड़ी 7 नग बीजा, सागौन की 3 नग लकड़ी आरोपी के घर से जप्त की गई थी। ऐसी स्थिति में आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतएव आरोपी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा-51 सहपठित धारा-9, 29, 35 (6) एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा-26 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

14— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाणपत्र तैयार किया जाये।

16— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई, वन विभाग द्वारा अपील अवधि पश्चात् विधि अनुसार निराकृत की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

fu.kZ; [kqys U;k;ky; esa gLrk{kfjr o

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

बैहर,

दिनांक-28.05.2016

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,

जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)